



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 815/2024

IN

S.B. Criminal Appeal No-2401/2023

Suresh Chand S/o Shri Madanlal, Aged About 52 Years, R/o Bhilwadi, Tehsil Pachpad, Police Station Bhawani Mandi, At Present House Of Prem Bai, Patampole, Police Stanton Kaithunipole, Kota (Raj) (At Present Confined In Central Jail Kota)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री गोविन्द प्रसाद रावत
For Respondent(s)	:	श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

16-03-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम(पोक्सो) कम-2, कोटा राजस्थान द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-190/2019, सरकार बनाम सुरेश चन्द में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 27.04.2022 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर



अर्थदण्ड सहित अधिकतम **बीस वर्ष के कठोर** कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी—अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.07.2019 से लगातार अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि सात वर्ष से अधिक हो चुकी है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं रही है । उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया ।

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों व वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामतः अपीलार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **16.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सुरेश चंद पुत्र मदनलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।



विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J